2015/00134

(15)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ पर पेश हुई । वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 15.6.2017 को प्रारंभिक डिक्री कर तहसीलदार सैपऊ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे । इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी शांति पत्नी स्व0 कल्याणसिंह का निधन हो गया है । शांति के वारिस मीरादेवी, बबीता पुत्रीयान व प्रदीप, गजेन्द्र, सुनील व राकेश पुत्रान पिसरान कल्याणसिंह है । अभी कुर्रेजात बनवाने से मना किया है । मौका पर्चा पर वादी सुनीलसिंह व प्रतिवादी गजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है । इस प्रकार वादी सुनीलसिंह स्वंय कुर्रेजात बनवाये जाने पर सहमत नहीं है तो दावा को अनावश्यक लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः दावा खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत ....सैंपऊ....	